

विद्युत सेवा आयोग

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि०,
एस०एल०डी०सी० परिसर (निकट मंत्री आवास),
विभूति खण्ड, फेज-२, गोमती नगर,
लखनऊ-२२६०१०

(विज्ञापन सं-०३/विसेआ/२०१८/टी०जी०-२)

उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लि० एवं उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लि० के अन्तर्गत समूह 'ग' की रिक्तियाँ हेतु सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगात्मक लिखित परीक्षा (CBT) के द्वारा, तकनीशियन ग्रेड-२ (प्रशिक्षा)-विद्युत हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हतायें रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आमंत्रित हैं। कॉरपोरेशनवार श्रेणीवार रिक्तियाँ का विवरण निम्नवत् हैं :

(अ) उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लि० के अन्तर्गत रिक्तियाँ

पद कोड	पद का नाम	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर)	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल रिक्तियाँ
816	तकनीशियन ग्रेड-२ -विद्युत (प्रशिक्षा)	336	174	141	13	664

(ब) उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लि० के अन्तर्गत रिक्तियाँ

पद कोड	पद का नाम	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर)	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल रिक्तियाँ
826	तकनीशियन ग्रेड-२ -विद्युत (प्रशिक्षा)	1058	571	444	42	2115

- ❖ आवेदन करने वाले कार्मिकों को अपने आवेदन में उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लि० एवं उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लि० हेतु अलग-अलग वरीयताक्रम में स्वेच्छिक विकल्प देने होंगे। इन रिक्तियों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लि० के पास सुरक्षित है।
- ❖ आवेदन करने वाले अस्थर्थियों के पास आधार कार्ड का होना अनिवार्य है।
- ❖ विज्ञापित पद पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑन-लाइन परीक्षा (CBT) एक से अधिक पालियों/दिवसों में करायी जायेगी। विभिन्न शिफ्ट के प्रश्नपत्रों के मूल्यांकन के पश्चात Normalisation method (CBT के प्रथम एवं द्वितीय भाग में) श्रेष्ठता निर्धारण में प्रयुक्त होगा।
- ❖ उक्त पदों पर आरक्षण उ०प्र० राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमन्य है। अन्य प्रदेशों के अस्थर्थी अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं।
- ❖ केन्द्र/राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग की सेवा से निष्कासित व्यक्ति उपरोक्त पदों हेतु अहं नहीं हैं।

1. वेतनमानः— वेतन मैट्रिक्स लेवल-४ में वेतनमान ₹० २७२००-८६१०० एवं अन्य भत्ते कॉरपोरेशन में लागू नियमानुसार देय होंगे।

2. अनिवार्य शैक्षिक अर्हतायें—

आवेदन के समय अस्थर्थी के पास निम्न शैक्षिक अर्हता का होना अनिवार्य है।

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा, विज्ञान एवं गणित विषयों में उत्तीर्ण होने के साथ नियमित छात्र के रूप में निम्नांकित ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड में अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यवसायिक प्रमाण-पत्र (NCVT/SCVT) का होना आवश्यक है:-

- इलेक्ट्रीशियन
- इलेक्ट्रिकल
- इलेक्ट्रिकल (कौशल विकास के अन्तर्गत विद्युत वितरण)

3. आयु : दिनांक ०१.०१.२०१८ को न्यूनतम १८ वर्ष एवं अधिकतम ४० वर्ष।

4. आयु में अनुमन्य छूट :



(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, 'अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर)' एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित का उ0प्र० का मूल निवासी होना आवश्यक है) के अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

(ख) भूतपूर्व सैनिक (यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा की हो) को उनके द्वारा सेना में की गयी पूर्ण वर्षों की सेवा की अवधि में तीन वर्ष जोड़ते हुए अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

(ग) अप्रेन्टिसशिप एक्ट-1961 के अन्तर्गत अप्रेन्टिस प्राप्त अभ्यर्थियों के निर्धारित आयु से अधिक होने की दशा में उन्हें प्रशिक्षण अवधि की सीमा तक (अधिकतम 2 वर्ष) अधिकतम आयु सीमा में शिथिलता अनुमन्य होगी।

5. **आरक्षण** :-(क) आरक्षण का लाभ लेने हेतु उ0प्र० का मूल निवासी होना आवश्यक है। **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर)** एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी के वे अभ्यर्थी जो उ0प्र० के मूल निवासी नहीं हैं, केवल सामान्य/अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन करें।

(ख) अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का चयन नियमानुसार किया जायेगा।

(ग) भूतपूर्व सैनिक (यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा की हो) को नियमानुसार कुल रिक्तियों का 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(घ) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित को उ0प्र० का मूल निवासी होना आवश्यक है) को नियमानुसार कुल रिक्तियों का 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।

(ङ) विकलांग अभ्यर्थियों हेतु उपरोक्त विज्ञापित पद उ0प्र० शासन द्वारा आरक्षण हेतु चिह्नित नहीं हैं। अतः विकलांग अभ्यर्थी कृपया आवेदन न करें।

(च) चयन परिधि की सूची के अन्त में दो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं अन्य बातें समान होने पर अप्रेन्टिस एक्ट-1961 के अन्तर्गत अप्रेन्टिस प्राप्त अभ्यर्थियों को चयन में वरीयता प्रदान की जायेगी एवं यदि प्राप्तांक एवं अन्य बातें समान होने पर एवं अप्रेन्टिस की अवधि भी समान हो तो ऊर्जा विभाग/ऊर्जा प्रतिष्ठान में की गयी अप्रेन्टिस को वरीयता प्रदान की जायेगी। यदि एक से अधिक अप्रेन्टिस प्राप्त अभ्यर्थी पात्र हैं तो अधिक उम्र के अप्रेन्टिस को वरीयता दी जायेगी।

6. **आवेदन शुल्क** : आवेदन शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) है।

1.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी (उ0प्र० का मूल निवासी होना आवश्यक है।)	Rs. 600/-
2.	अन्य समस्त श्रेणी	Rs. 900/-

(1) आवेदन शुल्क नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड अथवा स्टेट बैंक आफ इंडिया के चालान के माध्यम से जमा होगी, इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन शुल्क जमा नहीं होगा। जमा करने की विधि वेबसाइट www.uppcl.org पर उपलब्ध है। बैंक चार्ज अभ्यर्थी द्वारा अलग से देय होंगे। (2) आवेदन शुल्क के मद में जमा की गयी धनराशि अप्रतिदेय (Non Refundable) है एवं किसी भी दशा में न तो वापस की जायेगी और न ही स्थानान्तरित अथवा किसी अग्रिम चयन हेतु सुरक्षित की जायेगी।

7. **अहंताओं एवं अन्य प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतीकरण :-**

अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने पर लिखित परीक्षा में अस्थायी रूप से (provisionally) समिलित किया जायगा। अभ्यर्थियों के मात्र लिखित परीक्षा में समिलित होने से अहंता/चयन का अधिकार प्राप्त नहीं हो जायेगा। विज्ञापित पद हेतु अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित अहंता सम्बन्धी योग्यता प्रमाण पत्र/अंकपत्र/जाति प्रमाण पत्र (OBC-NCL जाति प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2018 के बाद का जारी होना आवश्यक है)/मूल निवास प्रमाण पत्र (दिनांक 31.03.2015 के बाद का जारी होना आवश्यक है)/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र (जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा) तथा भूतपूर्व सैनिक (यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा की हो) प्रमाण पत्र इत्यादि (जो अप्रासंगिक हों उन्हें छोड़कर) की एक-एक स्वयं सत्यापित एवं हस्ताक्षरित छायाप्रति ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट के साथ जाँच के समय जमा करायी जायेगी। लिखित परीक्षा के प्रथम भाग में सफल



घोषित अभ्यर्थियों की सूची में से परीक्षा के द्वितीय भाग में प्राप्त अंकों की श्रेष्ठतानुसार रिक्तियों के 2 गुने शार्टलिस्टेड अभ्यर्थियों को अभिलेखों की प्रथम चरणीय जाँच हेतु आमंत्रित किया जायेगा, जिसकी सूचना रजिस्टर्ड ई-मेल एवं एस०एम०एस० द्वारा प्रेशित की जायेगी। शार्टलिस्टेड अभ्यर्थियों को अर्हता सम्बन्धी अभिलेखों की प्रथम चरणीय जाँच में सम्मिलित होना अनिवार्य है, अन्यथा कि स्थिति में चयन प्रक्रिया अपूर्ण होने के कारण उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। सभी प्रासंगिक अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करने अथवा अभिलेख गलत पाये जाने पर अथवा आवेदन पत्र में दी गयी सूचना के अनुरूप न होने पर एवं अर्हता शर्त पूर्ण न करने पर, बिना सूचना के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थन निरस्त करने एवं चयन प्रक्रिया से वंचित करने का अधिकार सुरक्षित है।

अभ्यर्थियों के सहायतार्थ स्पष्टीकरण नोट:- दूरस्थ शिक्षा माध्यम से अथवा अनुभव के आधार पर अथवा वांछित ट्रेड के अतिरिक्त समकक्ष तकनीकी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

8. **अनापत्ति प्रमाण पत्र :** यदि कोई अभ्यर्थी किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में कार्यरत है तो उसे नियुक्ति के समय अपने विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
9. **चरित्र :** अभ्यर्थी को अपने पिछले शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य अथवा दो सम्मानित व्यक्तियों, जो सम्बन्धी न हो, द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना होगा।
10. **वैवाहिक स्थिति :** ऐसे पुरुष/महिला अभ्यर्थी जो एक से अधिक विधि विरुद्ध जीवित पत्नी/पति रखते हों तथा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिनका विवाह विधि विरुद्ध ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पास पहले से एक या एक से अधिक जीवित पत्नी हो, चयन हेतु अर्ह नहीं होंगे।
11. **चयन प्रक्रिया :** चयन लिखित परीक्षा (CBT) के आधार पर किया जायेगा। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र दो भागों का होगा, जिसकी अवधि 03 घंटे की होगी :-

प्रथम भाग :-

- (1) प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में NIELIT के "CCC" स्तर का कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा अर्थात् यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किये जायेंगे अर्थात् 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी।
- (2) कम्प्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा कि स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुये उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
- (3) कम्प्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग में अर्जित अंक श्रेष्ठता (मेरिट) निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जायेंगे।

द्वितीय भाग :-

द्वितीय भाग में निम्नांकित पाठ्यक्रम से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा जिनके अधिकतम अंक समुख अंकित हैं। प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिये ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किये जायेंगे अर्थात् 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी।

क्र०सं०	पाठ्यक्रम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक
1	सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान	20	20
2	सामान्य हिन्दी (हाईस्कूल सामान्य स्तर)	15	15
3	सामान्य अंग्रेजी (हाईस्कूल सामान्य स्तर)	15	15
4	तकनीकी विषयक ज्ञान	150	150
		कुल	200

नोट:- चयन हेतु द्वितीय भाग की परीक्षा में कम से 33.5 % प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अर्थात् ऐसे अभ्यर्थी जो 67 अंक से कम अंक प्राप्त करेंगे वे चयन प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे।

विशेष:-

4. उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रतिबन्धों एवं अर्हताओं के अधीन, द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित 200 अंकों पर ही अभ्यर्थियों की अन्तिम मेरिट लिस्ट बनाकर चयन प्रक्रिया सम्पन्न की जाएगी।
5. उपरोक्तानुसार निर्धारित 200 अंकों की परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक पाने की स्थिति में उस अभ्यर्थी का नाम ज्येष्ठता सूची में ऊपर रहेगा, जिसके द्वारा अप्रेटिसशिप की गयी हो, यदि एक से अधिक अप्रेटिसशिप के अभ्यर्थी पात्र हैं, तो अधिक उम्र के अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।



6. परीक्षा प्रक्रिया से सम्बन्धित अन्य ऐसे बिन्दु जिनका इस विधिमाली में कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग को प्राप्त होगा।
12. परीक्षा स्थानः— परीक्षायें लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद, नोयडा, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ एवं कानपुर शहरों में होगी। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर अथवा विशेष परिस्थितियों में परीक्षा के स्थान को बदला अथवा घटाया/बढ़ाया जा सकता है।
13. आवेदन कैसे करें: कॉर्पोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org को खोलें एवं टैब “APPLY ONLINE AGAINST ADVT NO. ‘03/VSA/2018/TG-2’ FOR THE POST OF TG-2 (Electrical)” पर क्लिक करें तथा खुलने वाले नये वेब पेज पर “How to Apply” पर क्लिक कर प्रक्रिया को भली-भांति समझें एवं आवेदन पत्र को निर्देशानुसार पूर्ण करें। अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे अपना रजिस्टर्ड ई-मेल एवं मोबाइल नम्बर को अन्तिम परीक्षाफल आने तक सजीव रखें। परीक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचना इन्हीं के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।
14. प्रवेश पत्र : अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र (Admit Card) वेबसाइट www.uppcl.org से डाउनलोड करना होगा। Admit Card डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे।
15. अन्य विवरण: व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य माध्यम से कार्यालय में भेजे गये आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। सभी प्रासांगिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ तथा उपरोक्त बिन्दु 7 के अनुसार छायाप्रतियाँ मूल आवेदन पत्र के साथ, जाँच के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में अथवा प्रस्तुत अभिलेख गलत पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभिलेखों की जाँच विभिन्न स्तरों पर की जायेगी। नियुक्ति से पूर्व किसी भी स्तर पर गलत सूचना देने/प्राप्त होने पर, अहंता पूर्ण न पायें जाने पर, अभ्यर्थन/चयन बिना कारण बतायें निरस्त किया जा सकता है। आवेदन सम्बन्धी पूछताछ हेतु helpdesk318tg@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है। सभी पत्राचार आवेदन पत्र में भरे गये पत्राचार के पते पर ही किये जायेंगे। उपर्युक्त विज्ञापन बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित-रहेगा। विज्ञापन का सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट www.uppcl.org पर देखा जा सकता है।
16. पारदर्शिता:- परीक्षा की पारदर्शिता हेतु निम्न व्यवस्थायें की गई हैं:-
प्रश्नपत्र का सही हल, परीक्षा की समाप्ति से 02 दिन के अन्दर, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जायेगा एवं अपलोड की तिथि से 03 दिन तक का समय साक्ष्य सहित आपत्ति दर्ज कराने हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। अभ्यार्थियों को www.uppcl.org की वेबसाइट से रिस्पांस शीट अपने लागिन आईडी एवं पासवर्ड से डाउनलोड करना होगा ये आयोग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् परीक्षा सम्बन्धी किसी भी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
17. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र केवल लखनऊ होगा।
18. महत्वपूर्ण तिथियाँ :

क्र०सं०	विवरण	तिथि
1	ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथियाँ	21.02.2018 -13.03.2018
2	आवेदन शुल्क जमा करने की तिथियाँ	21.02.2018 - 14.03.2018
3	परीक्षा की सम्भावित अवधि	अप्रैल 2018 के द्वितीय सप्ताह

सचिव,
विद्युत सेवा आयोग

